संख्या एन-67015(3)/1/2022-बीएम अनुभाग

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

(बी एम प्रभाग)

406, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली दिनांक: 20 फरवरी, 2023

<u>आदेश</u>

विषय: केन-बेतवा लिंक परियोजना के पुनर्वास और पुनर्स्थापन कार्यों के लिए निगरानी समिति के गठन के संबंध में।

1. जबकि केन-बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी) के कार्यान्वयन के लिए एक त्रिपक्षीय करार ज्ञापन (MoA) पर माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और मध्य प्रदेश (MP) और उत्तर प्रदेश (UP) के माननीय मुख्यमंत्रियों द्वारा 22.03.2021 को माननीय प्रधान मंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए हैं।

2. जबकि, भारत सरकार ने दिसंबर 2021 में विशेष प्रयोजन वाहन यानी केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण (केबीएलपीए) के माध्यम से केंद्र और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से केबीएलपी के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है।

3. जबकि, जैसा कि खंड 8.0 के तहत एमओए में निर्दिष्ट है, परियोजना प्रभावित परिवारों का पुनर्वास और पुनर्स्थापन और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के अनुसार या संबंधित राज्य नीति के अनुसार और अनुमोदित पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुसार समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा।

4. जबकि, भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना फाइल संख्या एन-67037/4/2018-बीएम दिनांक 09.02.2022 के तहत केन-बेतवा लिंक परियोजना को भारत सरकार और मध्य प्रदेश (एमपी) और उत्तर प्रदेश (यूपी) की राज्य सरकार की संयुक्त परियोजना के रूप में लागू करने के लिए एक संचालन समिति (एससी) और केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण (केबीएलपीए) का गठन किया है।

5. जबकि मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिलों के 21 गांवों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 की धारा- 11 (1) के तहत क्रमशः पन्ना और छतरपुर के गांवों के लिए प्रतिपूरक वनीकरण और जलमग्न और आर एंड आर के तहत आने वाले क्षेत्र के लिए पन्ना टाइगर

रिजर्व को पन्ना टाइगर रिजर्व को हस्तांतरित करने के लिए शुरू और अधिसूचित और प्रकाशित की गई है।

6. जबकि, केन-बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति ने 20.07.2022 को आयोजित अपनी दूसरी बैठक में अंतिम रूप दी गई आर एंड आर योजना के अनुसार पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से परियोजना के तहत आर एंड आर योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक आर एंड आर समिति गठित करने का निर्णय लिया।

7. तदनुसार, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, केन-बेतवा लिंक परियोजना के पुनर्वास और पुनर्स्थापन कार्यों के लिए निम्नलिखित संरचना के साथ एक निगरानी समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है:

निगरानी समिति (आर एंड आर), केबीएलपी की संरचना

क्र.सं.	**नाम**	**पदनाम**
1.	सचिव, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार	अध्यक्ष
2.	सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, भारत सरकार या उनके नामिती, संयुक्त सचिव के पद से कम नहीं	सदस्य
3.	सचिव, डब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर या उनके नामांकित व्यक्ति संयुक्त सचिव, भारत सरकार के पद से नीचे नहीं हैं।	सदस्य
4.	सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, या उनके नामिती या संयुक्त सचिव के पद से नीचे के	सदस्य
5.	एसीएस, डब्ल्यूआरडी, मध्य प्रदेश सरकार या उसके नामित व्यक्ति जो राज्य सरकार के अपर सचिव के पद से नीचे नहीं हैं	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास, मध्य प्रदेश सरकार	सदस्य
7.	सीईओ, केबीएलपीए	सदस्य
8.	मुख्य वन संरक्षक (सीसीएफ), म.प्र.	सदस्य
9.	आयुक्त (एलए एंड आर एंड आर), मध्य प्रदेश सरकार, सागर	सदस्य
10.	प्रमुख अभियंता, डब्ल्यूआरडी, मध्य प्रदेश सरकार	सदस्य
11.	प्रमुख अभियंता/हेड, आई एंड डब्ल्यूआरडी, जल शक्ति, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य
12.	पन्ना और छतरपुर जिले के संबंधित कलेक्टर और डीएम	सदस्य
13.	एसीईसी (पर्यावरण, आर एंड आर और एलए), केबीएलपीए	सदस्य सचिव

8. समिति के व्यापक विचारार्थ विषय (टीओआर) इस प्रकार हैं:

क. यह देखना कि भूमि अधिग्रहण और आर एंड आर योजना आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के अनुसार और संबंधित राज्य नीति और इस संबंध में अन्य प्रासंगिक नियमों के अनुसार लागू की जा रही है;

ख. एमओटीए द्वारा दी गई परियोजना की आर एंड आर मंजूरी की शर्तों के अनुसार आर एंड आर योजना को अंतिम रूप देना और करार ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना;

ग. परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) के पुनर्वास और पुनर्स्थापन की कार्य योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करना और राज्य सरकार में मौजूदा तंत्र के तहत उपयुक्त प्राधिकारी को निर्देश देना;

घ. आर एंड आर के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए उपयुक्त तंत्र का सुझाव देना और फीडबैक लूप और अनुकूली प्रबंधन विकल्पों के साथ आर एंड आर कार्यक्रमों के प्रभाव का आकलन करना;

ङ. समिति इस क्षेत्र में किसी अन्य विशेषज्ञ को सहयोजित कर सकती है और

(च) तिमाही आधार पर परियोजना की आर एंड आर की स्थिति और प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।

9. निगरानी समिति (आर एंड आर), केबीएलपी के संबंध में वित्तीय प्रावधान निम्नानुसार होंगे:

क. समिति की बैठक में भाग लेने वाले सरकारी सदस्यों को दौरे पर माना जाएगा;

ख. परियोजना क्षेत्र/शहर के भीतर भोजन और आवास और स्थानीय यात्रा की व्यवस्था केबीएलपीए द्वारा की जाएगी और

ग़. समिति द्वारा सहयोजित किसी भी गैर-सरकारी विशेषज्ञ के सभी खर्च केबीएलपीए द्वारा वहन किए जाएंगे।

10. सदस्य सचिव समिति के अध्यक्ष के परामर्श से आवश्यकतानुसार बैठकों/स्थल दौरों का समन्वय और आयोजन करेंगे।

आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं सूचनार्थ प्रति: -

1. सचिव, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ई-मेल: secy-dolr@ntc.in, tirkeyaj@ias.nic.in)
2. सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, भारत सरकार (ई-मेल: secywel@nic.in)
3. सचिव, जल संसाधन, आरडी और जीआर, भारत सरकार (ई-मेल: secy-mowr@nic.in)
4. सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार (ई-मेल: secy-tribal@nic.in)
5. एसीएस, डब्ल्यूआरडी, मध्य प्रदेश सरकार (ई-मेल: pswrd@mp.gov में)
6. प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास, मध्य प्रदेश सरकारई-मेल: psprd@mp.gov. in)
7. सीईओ, केबीएलपीए। (ई-मेल: dg-nwda@nic.in)
8. प्रधान मुख्य वन संरक्षक। (पीसीसीएफ) और एचओएफएफ, एमपी (ई-मेल: pcctmp@mp.gov.in, _pccf.mp@mp.gov.in)
9. आयुक्त (एलए एंड आर एंड आर), मध्य प्रदेश सरकार, सागर (ई-मेल: prirevcom@mp.gov.in)

10. प्रमुख अभियंता, डब्ल्यूआरडी, मप्र सरकार। (ई-मेल: encwrbpl@mp.nic.in, eincbodhi@gmail.com)
11. प्रमुख अभियंता/हेड, आई एंड डब्ल्यूआरडी, जल शक्ति, उत्तर प्रदेश सरकार। (ई-मेल: eincididuplu-up@i dc.in)
12. पन्ना और छतरपुर जिले के संबंधित कलेक्टर और डीएम (ई-मेल: dmchhatarpur@mp.gov.in)
13. एसीईओ (पर्यावरण, आर एंड आर और एलए), केबीएलपीए।

सूचनार्थ प्रति: -

1. महानिदेशक, राजविअ, नई दिल्ली। (ई-मेल: dg-nwda@nic.in)
2. संयुक्त सचिव, कैबिनेट सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
3. संयुक्त सचिव, पीएमओ, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
4. संयुक्त सचिव (कार्मिक), व्यय विभाग, नई दिल्ली।
5. संयुक्त सचिव (कार्मिक), व्यय विभाग, नई दिल्ली।
6. प्रधान सलाहकार (जल संसाधन), नीति आयोग, नई दिल्ली।
7. निदेशक (वित्त), जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, नई दिल्ली।
8. मुख्य लेखा नियंत्रक, जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
9. वेतन एवं लेखा अधिकारी (सचिव), जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
10. फाइनेंस डेस्क/डी एंड टी/जीए सेक्शन, डीओडब्ल्यूआर, आरडी&जीआर/गार्ड फाइल।

प्रति: -

1. सचिव के वरिष्ठ पीपीएस, जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग।
2. एएस के पीपीएस, जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग।
3. जेएस (प्रशासन) के वरिष्ठ पीपीएस, जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग।
4. जेएस एंड एफए के पीपीएस , जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग।
5. एसजेसी -1 (बीएम)